न्यायालय अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद सं0—69 / 2021

प्रंसग :— रामेश्वर राम बनाम उमेश कुमार

आदेश

4-11-25

उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक—615 / विधि, दिनांक—13.05.2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित प्रस्तुत वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक—रामेश्वर राम, पिता—स्व0 भुखल राम, ग्राम—गुमो, बरवाडीह, थाना—कोडरमा, पोस्ट—गुमो, थाना—तिलैया, जिला—कोडरमा द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा—46 (i) (b) के तहत मौजा—बरवाडीह, खाता नं0—39, प्लॉट सं0—399, रकवा—04 डी0 भूमि बिक्री हेतु अनुमति की मांग किया गया है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा से प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

आवेदक (विक्रेता) श्री रामेश्वर राम एवं श्री उमेश कुमार (क्रेता) न्यायालय में उपस्थित हुए। श्री उमेश कुमार द्वारा प्रस्तावित भूमि क्रय हेतु अनुमति देने का अनुरोध किया गया ,वही विक्रेता (आवदेक) द्वारा कहा गया कि वे भूमि बिक्री करना नहीं चाहते है। इस संबंध में विक्रेता द्वारा लिखित आवेदन दाखिल किया गया है कि वे आवेदित भूमि बेटी की शादी हेतु बिक्री करना चाहते थे, परन्तु समय पर पैसे का भुगतान नहीं होने के कारण रिश्तेदारों तथा बाजार से कर्ज ले कर दोनों बेटी का विवाह सम्पन्न कर सका। विक्रेता द्वारा अनुमति वाद को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि विक्रेता भूमि बिक्री करना नहीं चाहते है, ऐसी परिस्थिति में वाद को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

4/11/25
अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

4/11/25
अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2025.11.15 16:18:03 +05:30
Location: 192.168.29.40